<u>न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी,(कलक्टर), भरतपुर</u>

अपील निर्वाचन सं0 01/2020

1–सुधीर प्रतापसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति जाट निवासी 241,जाट थोक,धनवाड़ा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

2–सोनम चौधरी पत्नि सुधीर प्रतापसिंह जाति जाट निवासी 241,जाट थोक,धनवाड़ा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

.... अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),पंचायत समिति क्षेत्र,कुम्हेर, जिला भरतपुर

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), कुम्हेर जिला भरतपुर बावत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने बावत ग्राम पंचायत धनवाड़ा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः–8–1–2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), कुम्हेर जिला भरतपुर, के इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट्स गांव धनवाडा में निवास करते हैं और इसी आधार पर अपीलान्ट्स का आधार कार्ड व राशनकार्ड आदि दस्तावेज बने हुए हैं। अपीलान्ट्स का नाम नगला मना की वोटर लिस्ट में दर्ज था वहां से नाम कटवाकर गांव धनवाडा में जुडवाने हेतु नियमानुसार प्रारूप 2 में आवेदन किया था जिस पर बी.एल.ओ द्वारा अपीलान्ट्स को ग्राम पंचायत धनवाडा के

मतदाता सूची में नाम जोडने हेतु अपनी रिपोर्ट दी गयी किन्तु तहत ई0आर0ओ0 कुम्हेर ने अपीलान्ट्स के आवेदन पत्र को निरस्त कर ग्राम पंचायत धनवाडा में नाम नहीं जोडने का निर्णय दिया गया है, जो अवैध है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 को निरस्त कर अपीलान्ट्स का नाम ग्राम पंचायत धनवाडा के मतदाता सूची में जोडे जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट ई0 आर0 ओ0 (एस.डी. एम.), कुम्हेर से तहत पत्रावली तलब की गई। ई0 आर0 ओ0 कुम्हेर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्टस ग्रांम धनवाड़ा में निवास करते हैं। अपीलान्टस का नाम ग्रांम नगला मना की वोटर लिस्ट में दर्ज था। प्रार्थीयान अपीलान्ट ने अपना नाम ग्रांम नगला मना की वोटर लिस्ट से नाम काट कर ग्रांम धनवाड़ा की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु नियमानुसार प्रारुप–2 में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बी.एल.ओ. द्वारा प्रार्थीयान का नाम ग्रांम धनवाड़ा की मतदाता सूची में जोड़ने की रिपोर्ट अंकित की थी। योग्य अभिभाषक का कहना है कि ई.आर. ओ. ने बिना रिपोर्ट देखे बिना किसी आधार के प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। दौरोने बहस प्रार्थी. अभिभाषक ने पत्रावली में शामिल फोटो कॉपी कथित शपथ–पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी ने ग्रांम धनवाड़ा में मालिक रज्जन पुत्र सोहन पाल से एक कमरा खरीद कर निवास कर रहा है। उन्होने बताया कि प्रार्थी व्यक्ति जहॉ निवास करता है वहीं की वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़े जाने का प्रावधान है। ई.आर.ओ. द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्व होने से खारिज योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये प्रार्थीयान का नाम ग्रांम धनवाड़ा की मतदाता सूची में जोड़े जाने के आदेश देने की प्रार्थना की गई।

हमने योग्य अभिभाषक के कथनों पर मनन किया। पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा ग्रांम धनवाड़ा की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र ई.आर.ओ. के समक्ष पेश किया गया। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत नाम जुड़वाने के प्रार्थना पत्र के खिलाफ श्री मोहन सिंह द्वारा आपत्ति शिकायत प्रार्थना पत्र ई.आर.ओ. के समक्ष पेश किया गया है। जिस पर ई.आर.ओ. द्वारा सुनवाई करते हुये जॉच हेतु तहसीलदार कुम्हेर, नायव तहसीलदार रारह एवं विकास अधिकारी कुम्हेर की कमेटी गठित की गई। अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि उक्त कमेटी के साथ स्वयं ई.आर.ओ. ने भी मौके पर पहुंच कर जॉच की गई है। विस्तृत जॉच रिर्पोट में प्रार्थी./अपीलान्ट को ग्रांम धनवाड़ा में साधारणतया निवासी होना नहीं पाया गया है। कमेटी की जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट का नाम ग्रांम नगला मना ग्रांम पचांयत पाहुआ की वोटर लिस्ट में दर्ज होना भी अंकित किया गया है। जहॉ तक फोटो कापी कथित स्टाम्प जिससे अपीलान्टस अपने आप को एक कमरा ग्रांम धनवाड़ा में क्रय कर निवास करने का प्रश्न है तो यह कथित फोटो कापी स्टाम्प पेपर को किसी भी प्रकार विकृय पत्र नही माना जा सकता है। ई.आर.ओ.(उपखण्ड अधिकारी) कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विस्तृत एवं विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तेक्षप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्टस काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसाार अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। निणर्य प्रति के साथ तहत पात्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: